

28/1/21
अज अदालत

Form. No-111

फॉर्म अहकाम (नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

किस्म गुकदमा 136 एल आर एक्ट
गनेशन 3.2.20

बनाम

सरकार

नाम्बर 168

सन् 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021 /

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियटिव्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
28/1/21	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार.....<u>गजनिन्द्या</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/४४२०५०३ दिनांक 28/1/21 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत.....<u>गजनिन्द्या</u> में प्रार्थी के नाम चक 3.2.20 की जमाबंदी सम्बत 2025-2078 के खाता सं 47 में <u>SB01 शाखा गजनिन्द्या</u> के स्थान पर <u>SB1 शाखा गजनिन्द्या</u></p> <p>की दुरुस्ती करने की अनुशंघा की है। मजमा-ए-आम कैम्प प्राथमिक पर नज़र रखकर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में जमाबंदी तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी है। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार.....<u>गजनिन्द्या</u> रायसिंहनगर की अनुशंघा के आधार पर चक 3.2.20 तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बत 2025-2078 के खाता सं 46 में <u>SB01 शाखा</u> <u>गजनिन्द्या</u> के स्थान पर <u>SB1 शाखा गजनिन्द्या</u></p> <p>की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर